जल्द तैयार करें स्टेट लाजिस्टिक्स प्लान : योगी

मुख्यमंत्री के निर्देश प्रदेश में वेयरहाउसिंग और अन्य टर्मिनल अवस्थापना को दिया जाएगा बढ़ावा

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट लाजिस्टिक्स प्लान के रूप में लाजिस्टिक्स सेक्टर के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने की आवश्यकता बताई है। उन्होंने कहा है कि राज्य में अंतिम मील तक सुगम डिलिवरी के लिए परिवहन अवस्थापना तथा यातायात योजना बनाई जाए। यह एक ऐसी योजना हो जो राज्य में वेयरहासिंग व अन्य टर्मिनल अवस्थापना को समर्थन प्रदान करे। साथ ही यह सुरक्षित व सुदृढ़ लाजिस्टिक्स के नियामक तंत्र का निर्माण करने वाली हो।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में कहा कि सतत् प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत सरकार की लीड्स रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 13वें पायदान से ऊपर उठकर आज अचीवर राज्य के रूप में उभरा है। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए लाजिस्टिक्स उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। लाजिस्टिक्स क्षेत्र में निवेश आकर्षित किया जाए। राज्य में वेयरहाउसिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए सुविधाजनक वातावरण सुनिश्चित किया जाए। आवश्यकता है कि इस सेक्टर के प्रभावी प्रशासन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर लाजिस्टिक्स सेक्टर के एकीकृत विकास के लिए तैयार स्टेट लाजिस्टिक्स प्लान और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के कार्यान्वयन के लिए गाइड लाइन के संबंध में प्रस्तुतीकरण की समीक्षा करते • सूचना विभाग

के लिए संस्थागत तंत्र बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए नियोजित प्रयास आवश्यक हैं।

स्टेट लाजिस्टिक प्लान को तैयार करते समय हमें यह ध्यान देना होगा कि चोरी/आगजनी/दंगों आदि के कारण माल को कम से कम हानि हो। सड़क पर माल की आवाजाही के न्यूनतम निरीक्षण व न्यूनतम रुकावटों के लिए ईकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाए। माल की सुरक्षित आवाजाही और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाए। प्रशिक्षित ड्राइवरों की मांग-आपूर्ति के अंतर को दूर करने के उपाय किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में ट्रकों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थलों की कमी है, जिससे ट्रैफिक जाम होता है। भारी ट्रैफिक, अतिक्रमण और निर्माण के कारण जाम की स्थिति बनती है। नो-एंट्री जोन और रेलवे क्रासिंग पर अपर्याप्त पुल जैसी बाधाएं, जिससे माल की आवाजाही प्रभावित होती है। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ड्राइवरों के लिए विश्राम करने और पार्किंग क्षेत्र जैसी पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। नई योजना में इन समस्याओं का स्थायी समाधान भी किया जाए। इसे औपचारिक रूप देने के लिए लाजिस्टिक्स डिवीजन का गठन भी होना चाहिए। यह डिवीजन लाजिस्टिक्स योजना की प्रगति की निगरानी करेगा।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आएगी नई नीति

मुख्यमंत्री योगी ने निजी क्षेत्र की ओर से पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) परियोजनाओं के लिए मिल रहे उत्साहजनक प्रस्तावों को देखते हुए राज्य की पीपीपी नीति को और अधिक सरल और व्यवस्थित बनाने की जरूरत बताई है। मंगलवार को महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने नई पीपीपी नीति तैयार करने के साथ ही इन्वेस्ट यूपी में इसके लिए एक समर्पित सेल भी गठित करने का निर्देश दिया। कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-23 में मिले कुल निवेश प्रस्तावों में से लगभग 10 प्रतिशत पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित थे, जो हमारी नीति के बेहतरीन परिणाम को प्रदर्शित करता है। भविष्य की जरूरत को देखते हुए एक ऐसी नीति की आवश्यकता है, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए उपयुक्त परियोजनाओं के चिह्नीकरण, स्टेकहोल्डर परामर्श, विकासकर्ता के लिए बिड तैयार करने, अनुबंध और उसके उपरांत प्रबंधन जैसे सारे विषयों को बेहतर ढंग से संपादित करे।